INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

निबन्धन अधिनियम 21 के अधीन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा ...... के अन्तर्गत मालिक शुल्क यथावत लगाया गया है।

निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर

"Sabara Trust"

" सबेरा न्यास "

का

स्मृति – पत्र।

न्यास अभिलेख

संस्थापक का नाम	:–	अर्धन्दु शेखर , पिताः– स्वर्गी दीपनरायण सिंह।
1. ~~संस्था~~ ट्रस्ट का नाम	:–	" सबेरा न्यास "
2. ~~संस्था~~ ट्रस्ट का निबंधन कार्यालय	:–	रौतारा चौक गोड्डा, एल.आई.सी. ऑफिस के बगल में। पोस्ट– गोड्डा, जिला– गोड्डा, झारखण्ड 814133.
3. कार्यक्षेत्र	:–	इस ~~संस्था~~ ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड एवं बिहार होगा।

10 JAN 2014

200 x 3 = 600=00
100 x 1 = 100=00
700=00

4.7.14

पिता श्री

Ardhendu Shekhar

17/9/14

किया।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला अवर निबन्धक
17/9/14

200Rs.

अनुसार संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य है :–

क0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार
1	बिलास मॉझी पिता– चमरू मॉझी	ग्रा0–चकवा पो0–कोरका घाट, पथरगामा, गोड्डा, झारखण्ड	47 वर्ष	सप्तम पास	समाज सेवा	अध्यक्ष	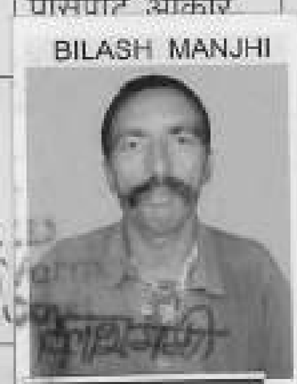
2	अर्धेन्दु शेखर पिता–स्वर्गी दिपनारायण सिंह	मोहल्ला–प्रोफेसर कलौनी , पोस्ट एवं जिला–गोड्डा पिनकोड–814133 झारखण्ड	52 वर्ष	आई0 एस0 सी0	समाज सेवा	सचिव	
3	छतीश धौर पिता– गोडो धौर	ग्राम–सिमरिया ,पो0– कोरका घाट, पथरगामा गोड्डा, झारखण्ड	63 वर्ष	सप्तम	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	

ATTESTED Rajiv Kumar Verma Notary Godda Court

बिलास मांझी 17/9/14 अर्धेन्दु शेखर 17/9/14 छतीश धौर

200 Rs.

4. संस्था का उददेश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उददेश्य है:–

1. समाज के कमजोर एवं वृध्द, असहाय, एवं विधवा महिला पुरूषो का सर्वागीण विकास करना।
2. गरीब असहायों अनाथों के लिए शैक्षणिक सेवा, चिकत्सा सेवा, आवास, प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध कराना।
3. यह न्यास अनाथालय, वृद्धा आश्रम, स्कूल आदि शिक्षण संस्थों की स्थापना करना।
4. समाज के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला पुरूशों कें उत्थान के लिए कल्याणकारी कार्य करना।
5. रोगीयों हेतु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना।

5 संस्था के कार्यकारणी समिति के सदस्यों का विवरण:–

निम्नलिखित व्यक्ति जिसका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्त्तमान नियमावली के

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.　　Rs 100

सत्यमेव जयते
भारत

एक सौ रुपये　ONE HUNDRED RUPEES

Ardhendu Shekhar
अर्धेन्दु शेखर

निलाद्रि मांझी　　　　छतीस्बंधेरे

6. सदस्य ~~आकांक्षी~~ व्यक्तियों की सूची एवं विवरण:–

निम्नलिखित व्यक्ति जिसका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा, नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 1882 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन आकांक्षी है:–

क्रमांक	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूण पता	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	हस्ताक्षर एवं फोटो
1.	निरंजन पासवान पिता– श्री जयकान्त पासवान	ग्राम–मानपुर, पोस्ट– दुबराजपुर, थाना– गोड्डा, मुफसील जिला– गोड्डा झारखण्ड 814133.	39 वर्ष	बी0ए0 पास	समाज सेवा	NIRANJAN PASWAN निरंजन पासवान
2.	अशोक साह श्री सिकन्दर साह	ग्राम– ढोढ़री पोस्ट– रमला जिला– गोड्डा झारखण्ड 814133.	45 वर्ष	मैट्रिक	समाज सेवा	अशोक साह

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति जिसका नाम एवं पूर्ण पता है तथा हस्ताक्षर उपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

अभिप्रमाणित कर्त्ता का हस्ताक्षर एवं

Rajiv Kr. Verma
Notary
Civil Court, Godda

सबेरा ट्रस्ट

की

नियमावली

1. **परिभाषा :–**

   1– ट्रस्ट से अभिप्राय है :– सबेरा न्यास
   2– समिति से अभिप्राय है :– ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति ।
   3– पदाधिकारी से अभिप्राय है :– अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ।
   4– आम सभा से अभिप्राय है :– ट्रस्ट के सभी सदस्यों से बनी सभा।
   5– वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है :– 1ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
   6– अधिनियम से अभिप्राय है :– ट्रस्ट निबंधन अधिनियम 1882

2. **ट्रस्ट की सदस्यता की शर्तें :–**

   प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो तथा वे इस संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करने के लिए तैयार हों वे इस ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । इस ट्रस्ट में दो श्रेणी के सदस्य होंगे :–

   1. साधारण सदस्य
   2. आजीवन सदस्य

      1. साधारण सदस्य :–
         साधारण सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क 151/रू0 होगा तथा वार्षिक अंशदान 250/रू0 अनिवार्य होगा । कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से ही कोई व्यक्ति साधारण सदस्यता प्राप्त कर सकता है ।
      2. आजीवन सदस्य :–
         समाज का कोई भी व्यक्ति जो एक साथ 110/रू0 अग्रिम अंशदान देंगे, कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे सदस्य को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक साधारण सदस्य को प्राप्त है ।

3 **ट्रस्ट से सदस्यता की समाप्ति :–**

   1. स्वयं त्याग –पत्र देने पर ।
   2. पागल , दिवालिया या मृत्यु होने पर ।

3. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
4. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
5. न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित होने पर ।
6. पॉच कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :–
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमों के विपरीत आचरण करने पर ।
8. ट्रस्ट की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

4 कार्यकारिणी समिति का गठन :–

1. ट्रस्ट के कार्यकारिणी समिति मे पदाधिकारियों सहित कुल 03 सदस्य होंगे जिसका कार्यकाल पॉच वर्षों की होगी ।
2. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा कराया जायेगा ।
3. निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
4. कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल में अगर किसी कारणवश कोई पद रिक्त हो जाता है तो कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगा कि शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है । आम सभा की वार्षिक बैठक में विधिवत अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा ।

1. ट्रस्ट के सभी चल एवं अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होना।
2. ट्रस्ट के सभी कार्यों का सम्पादन करना और प्रस्ताव पारित करना ।
3. उदेश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
4. ट्रस्ट के लिए भवन, भूमि एवं अन्य उपस्कर की व्यवस्था करना ।
5. ट्रस्ट का भवन, भूमि का मॉर्गेज , लीज, खरीद –बिक्री करना ।
6. उप – शाखा का गठन करना ।

6 पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :–

1 अध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष ट्रस्ट का प्रधान होगा
2. ट्रस्ट के प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी रखना ।
3. आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना ।
4. अध्यक्ष को आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक में निर्णायक मत देने अधिकार होगा ।

2 सचिव

1. ट्रस्ट के प्रत्येक रिकार्ड को रखना, आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय आदि का विवरण तैयार करना ।
2. अध्यक्ष से परामर्श कर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना ।
3. आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति के आदेशों का पालन करना तथा उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना ।
4. सचिव आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सलाह लिए बिना अधिक से अधिक रू0 50000/– खर्च कर सकता है, जिसकी स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में लेनी होगी । अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में लेनी होगी । अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी ।
5. ट्रस्ट के वार्षिक अधिवेशन में सभा का प्रतिवेदन वार्षिक आय–व्यय तथा आगामी वर्ष की योजना रखना ।

3 कोषाध्यक्ष :–

1. कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा रखेगा तथा कार्यकारिणी समिति में ट्रस्ट के मासिक आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा ।
2. विभिन्न क्षेत्रों से आयी हुई राशि को प्राप्त करेगा तथा उचित रसीद देगा ।
3. कोषाध्यक्ष के अपने पास अधिक से अधिक रू0 5000/– आकस्मिक व्यय हेतु रख सकते हैं ।
4. कोषाध्यक्ष वार्षिक अधिवेशन के पूर्व ही वार्षिक आय–व्यय का अंकेक्षित विवरण कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेगा ।

4 आम सभा के कार्य एवं अधिकार :–

1. पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन करना ।
2. ट्रस्ट की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।
3. ट्रस्ट के लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
4. ट्रस्ट के स्मृति –पत्र एवं नियमावली में संशोधन करना ।
5. अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार विमर्श करना ।
6. ट्रस्ट के विघटन पर निर्णय लेना ।

5 आम सभा की बैठकें :–

1. आम सभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

2. आम सभा के 1/3 सदस्यों के लिखित भाग जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु पर स्पष्ट उल्लेख रहेगा , पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आम सभा की बैठक बुलानी होगी । यदि तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलायी जायेगी तब अधियाचना करनेवाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आम सभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आम सभा की अधियाचित बैठक अधिचाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं ।

3. कोरम :-

आम सभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50%+1)

4. बैठक की सूचना :-

1. आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व दी जायेगी ।
2. बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करदी जायेगी ।

6 कार्यकारिणी समिति की बैठकें :-

कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी ।

7 आय का स्त्रोत :-

1. प्रवेश शुलक, सदस्यता शुल्क एवं सहयोग राशि से ।
2. धन संग्रह हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना ।
3. ट्रस्ट किसी व्यक्ति या कोई संगठन या सरकार से अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना ।

8कोश की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :-

ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली राशियॉं ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी ट्रस्ट के अध्यक्ष , सचिव, कोषाध्यक्ष में से किसी किसी दो पदाधिकारी के संयुक्त

हस्ताक्षर से की जायेगी जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

9 अंकेक्षण

1. ट्रस्ट के लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जायेगा ।
2. निबंधित महानिरीक्षिक, गोड्डा झारखण्ड जब भी चाहे ट्रस्ट के लेखा का अंकेक्षण किसी अंकेक्षक से करा सकते हैं ,जिसका शुल्क ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा ।

10 संशोधन :-

ट्रस्ट के स्मृति –पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन ट्रस्ट की आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा ट्रस्ट निबंधन अधिनियम 1882 की संगत धारा एवं नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

11 पंजी का निरीक्षण :-

ट्रस्ट की सभी पंजियों ट्रस्ट के निबंधित कार्यालय में ट्रस्ट के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्ण अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

12 कानूनी कार्यवाही :-

ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही ट्रस्ट के सचिव के पदनाम से होगा ।

13 ट्रस्ट का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

1. यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारिणी समिति ततसंबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आम सभा की विशेष बैठक में रखेगा । आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही ट्रस्ट के विघटन पर निर्णय ले लिया जायेगा तथा उसे पुनः आम सभा की दूसरी विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी ।

2. विघटन के बाद ट्रस्ट के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह ट्रस्ट के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी बलिक आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्धेशाय वाली निबंधित किसी ट्रस्ट या झारखण्ड सरकार को दे दी जायेगी ।

3. ट्रस्ट के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 1882 की धारा का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

[signature] [signature] [signature]

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

गवाह

(1) [signature] Kumar,
FATHER- ARDHENDU SHEKHAR, PROFESSOR COLONY, GODDA
12/09/14

(2) Subodh Kumar
FATHER- JAY PRAKASH SAH, SHANTI NAGAR, GODDA
12/09/2014

निबंधन विभाग, झारखंड
गोड्डा

Token No.2 Token Date: 12/09/2014 15:03:54
Serial/Deed No./Year :93/49/2014
Deed Type: Trust Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	**Ardhendu Shekhar** Father/Husband Name:Late Deep Narayan Singh (Trustor) PROFESSOR COLONY, P.S.-GODDA TOWN, DIST-GODDA		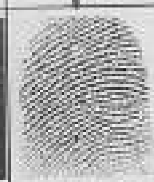
2	**Bilash Manjhi** Father/Husband Name:Chamru Manjhi (Trustee) CHAKWA, P.S.-PATHARGAMA, DIST-GODDA		
3	**Chhatish Dhour** Father/Husband Name:Godo Dour (Trustee) SIMARIYA, P.S.-PATHARGAMA, DIST-GODDA		
4	**Niranjan Paswan** Father/Husband Name:Jay Kant Paswan (Trustee) MANPUR, P.S.-GODDA (M), DIST-GODDA		
5	**Ashok Sah** Father/Husband Name:Siqandar Sah (Trustee) DHODHARI, P.S.-GODDA (M), DIST-GODDA		
6	**Sujit Kumar** Father/Husband Name:Ardhendu Shekhar (Identifier) PROFESSOR COLONY, P.S.-GODDA TOWN, DIST-GODDA		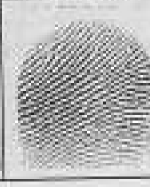

Book No.	IV
Volume	3
Page	217 To 254
Deed No	93/49
Year	2014
Date	12/09/2014 15:28:10

Registering Officer

Signature of Operator

निबंधन विभाग, झारखंड
गोड्डा

Token No.2 Token Date: 12/09/2014 15:03:54
Serial/Deed No./Year :93/49/2014
Deed Type: Trust Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
7	**Sujit Kumar** Father/Husband Name:Ardhendu Shekhar (Witness1) Professor Colony, P.S.-Godda Town, Dist-Godda		
8	**Subodh Kumar** Father/Husband Name:Jai Prakash Sah (Witness2) SHANTI NAGAR GODDA, P.S.-GODDA TOWN, DIST-GODDA		

Book No. IV
Volume 3
Page 217 To 254
Deed No 93/49
Year 2014
Date 12/09/2014 15:28:10

Registering Officer

Signature of Operator

निबंधन विभाग, झारखंड
गोड्डा
जाँच पर्ची-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 2 | Token Date/Time: 12/09/2014 15:03:54

Document Type	Trust Deed	Presenter	Ardhendu Shekhar		
Presenter Name & Address	Professor Colony, P.S.-Godda Town, Dist-Godda			Date of Entry	12/09/2014
Stampable Doc. Value	10000	DOE		Total Pages	38
Document/Transaction Value	10000	Stamp Value	700	Book	IV
Special Type		Serial No.	0	CNO/PNO	
Remarks / Other Details		Old Serial No.	/		
Property Details:		App. ID		e-Stamp Cert. No.	

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	UID	Address
1	Trustor	Ardhendu Shekhar	Late Deep Narayan Singh	Social Services				PROFESSOR COLONY, P.S.-GODDA TOWN, DIST-GODDA
2	Trustee	Bilash Manjhi	Chamru Manjhi	Social Services				CHAKWA, P.S.-PATHARGAMA, DIST-GODDA
3	Trustee	Chhatish Dhour	Godo Dour	Social Services				SIMARIYA, P.S.-PATHARGAMA, DIST-GODDA
4	Trustee	Niranjan Paswan	Jay Kant Paswan	Social Services				MANPUR, P.S.-GODDA (M), DIST-GODDA
5	Trustee	Ashok Sah	Siqandar Sah	Social Services				DHODHARI, P.S.-GODDA (M), DIST-GODDA
6	Identifier	Sujit Kumar	Ardhendu Shekhar	Social Services				PROFESSOR COLONY, P.S.-GODDA TOWN, DIST-GODDA
7	Witness1	Sujit Kumar	Ardhendu Shekhar	Social Services				Professor Colony, P.S.-Godda Town, Dist-Godda
8	Witness2	Subodh Kumar	Jai Prakash Sah	Social Services				SHANTI NAGAR GODDA, P.S.-GODDA TOWN, DIST-GODDA

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	E	1,000.00
2	SP	570.00
3	A1	300.00
Total		1,870.00

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप है।

अर्धेन्दु शेखर
प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

निबंधन एवं सारांश में इनपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

Kalu
डाटा इंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपरयुक्त अरधेन्दु शेखर एवं बिलास मांझी एवं छतीसधर, निरंजन पासवान एवं अशोक साह ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया
जिसकी
पहचान सुजीत कुमार पिता अरधेन्दु शेखर
निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, गोड्डा पेशा समाजिक कार्यकर्ता ने की।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर